न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–231 / 2022 दायर दिनांक: 27.09.2022

GCMS NO:- 2022/415

पीठासीन अधिकारी:– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. रंगलाल आ0 चून्या जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा ग्राम पंचायत सीसोला तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 131,136 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।
अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 28.11.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सीसोला पटवार मण्डल सीसोला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 178 की खसरा संख्या 687 / 1821 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी दर्ज खातेदार प्राप्त होने के समय से ही काबिज काश्त होकर समय समय पर फसल बोता व काटता चला आ रहा है। वर्तमान समय में मक्का व उड़द की फसल बो रखी है तथा उक्त भूमि में चारों ओर तारबंदी कर रखी है तथा तीन पेड आम, चार पेड नीबू व एक पेड अमरूद का 8–10 साल से लगे हुये है तथा एक नीम का पेड़ भी लगा हुआ हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी ने एक मकान भी बना रखा है तथा ट्यूवैल लगा रखी है तथा अपने परिवार सहित उक्त भूमि पर निवास कर रहा हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी के काबिज स्थान की चतुर्थ सीमा पूर्व में लादूराम की भूमि, पश्चिम में शोजी आ0 हरदेव की भूमि, उत्तर में बंटी आ0 दुर्गालाल की भूमि, दक्षिण में हीरालाल आ0 हरदेव की भूमि स्थित है। उक्त भूमि को नक्शा परिशिष्ट "अ" में X स्थान दर्शाया गया है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में हो रही तरमीम को Y स्थान दर्शाया गया है। नक्शा परिशिष्ट "अ" प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। यह कि प्रार्थी X स्थान पर अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी की भूमि को उसके कब्जे वाल X स्थान पर राजस्व नक्शे में भूमि तरमीम ना कर बिना भौतिक सत्यापन किये ही Y स्थान पर उक्त भूमि की तरमीम कर दी है जबकि Y स्थान पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को गलत की गई तरमीम के बारे में राजस्व कर्मचारियों व अप्रार्थी से कई बार मौखिक व लिखित रूप में कई बार निवेदन किया कि आपने मेरी भूमि की गलत तरीके से तरमीम कर दी है मेरा तो X स्थान पर ही कब्जा है तथा आपने उक्त भूमि को Y स्थान पर तरमीम कर दिया है। आप तरमीम को दुरूस्त कर Y स्थान ही तरमीम को विलोपित कर X स्थान पर तरमीम कर देवें किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी की एक नही सूनी तथा प्रार्थी ने 10.09.2022 को भी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की खाते की भूमि का गलत रूप में तरमीम का हो रहे इन्द्राज का दुरूस्त करने का तकाजा किया लकिन अप्रार्थी ने इन्द्राज दुरूस्त करने से मना कर दिया। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। यह कि प्रार्थी को अधिकार को प्राप्त है कि प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से हो रही तरमीम को निरस्त करवाकर सही तरमीम करवाये तथा इस आशय का अंकन समस्त राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में करवाये । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी एवं नकल नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये।

प्रार्थना पत्र में तरमीम संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मुताबिक ग्राम सीसोला में खसरा नं0 687 / [illegible] किस्म बारानी–4 रकबा 0.6472 है0 रंगलाल पुत्र चून्या जाति मीणा सा0 [illegible] क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जजावर दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मौका स्थिति प्रार्थी [illegible] नं0 मूल 687 में वर्षों से [illegible] रहा है। डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत ख0 सं0 687 / 182[illegible] की तरमीम मौके पर काबिज [illegible] अनुसार न होकर सहवन से गलत हो गई है। पटवारी हल्का सीसोला द्वारा ख0 नं0 687 / 1821 की दुरूस्त कब्जा काश्त अनुसार लाल स्याही से प्रस्तावित की गई है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रस्तावित तरमीम शुद्धि किया जाने की अभिशंषा की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.30 12:44:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 687/1821 रकबा 0.6472 हैक्टेयर की तरमीम डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत मौके पर काबिज काश्त अनुसार न होकर सहवन से गलत हो गई है, जिसको शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः ग्राम सीसोला पटवार मण्डल सीसोला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या. 178 की खसरा संख्या 687/1821 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि की तरमीम कब्जा काश्त अनुसार लाल स्याही से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस जिसे परिशिष्ट''क'' नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा, के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेशानुसार तरमीम शुद्ध की जाकर आवश्यक संशोधन राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.30 12:44:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ जिला बून्दी (राज.)

वाद पत्र संख्या .... बनाम ....

निर्णय दिनांक ....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र / प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राप्त निर्णय की प्रतिलिपि पालना हेतु भिजवाई जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट भिजवावे।

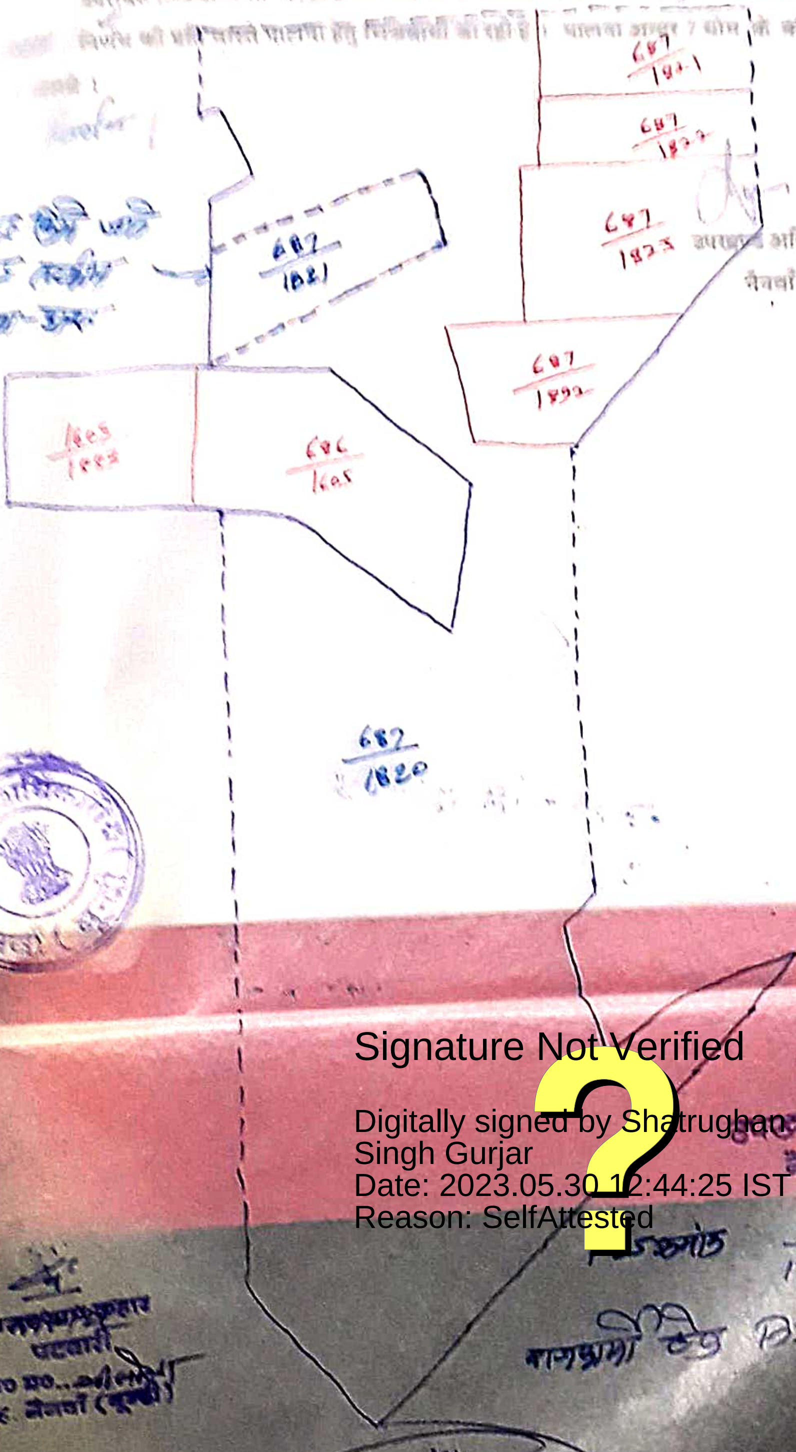

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

पटवारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.30 12:44:25 IST
Reason: SelfAttested